[श्री न० रा० देवघरे]

सकते हैं। पावरलूम आठ करघों के बराबर काम कर सकती है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि पावर लूम्ज़ पर रंगीन साड़ियां बनाने पर आप पाबन्दी लगा दें।

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI B. R. BHAGAT): Mr. Chairman, I am glad that the Honourable...

MR. CHAIRMAN : The Hon. Minister may resume his reply tomorrow. We will now take up Half-an Hour Discussion.

17.42 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

DEVELOPMENT AND REGULARISATION OF UNAUTHORISED COLONIES IN DELHI

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। यह दुनिया का एक मशहूर शहर है। यहां की आबादी 40-50 लाख के करीब है। इनमें से दस बारह लाख ऐसे लोग हैं जोकि ऐसी 208 बस्तियों में रहते हैं कि जहां उनको ढोर डंगर की जिन्दगी बसर करनी पड़ती है। वहां उनको कोई सहूलियत नहीं है। उनको उन में से कोई भी सहूलियत हासिल नहीं है जो दिल्ली में दूसरे रहने वाले लोगों को हासिल हैं। इससे न सिर्फ हमारी राजधानी की बदनामी होती है अपने देश में बल्कि दूसरे देशों में भी हमारे देश की बदनामी होती है। दिल्ली में बाहर के देशों के राजदूत तथा दूसरे बड़े बड़े लोग आते हैं और जब वे इन बस्तियों की हालत को देखते हैं तो इसकी चर्चा दूसरे देशों की प्रेस में भी होती है। मैंने पढ़ा है कि रूस में, अमरीका तथा दूसरे देशों में हमारा जो रहन सहन है, हमारे जो मकानात हैं, जो लोगों को हम सिविक एमैनेटीज़ देते हैं, उनके बारे में वे लोग कोई अच्छे विचार नहीं रखते हैं। आज से हज़रों साल पहले अरिस्टौटल ने कहा था कि शहर में आदमी आकर इसलिए आबाद होता है कि शहरी आबादी का फायदा उठाये, वह अच्छा शहरी बने और रहना सीखे। एडलाई स्टिवनसन जो एक बड़े पुरुष अमरीका के हुए हैं उन्होंने शहरी जिन्दगी की बाबत लिखा है कि शहर इस तरह से बसने लगे हैं और उनके सुबरब् में ऐसे आबादी बढ़ने लगी है कि उससे शहरों को वह सब ग्रेस और सिविक लाइफ जो है, वह भी खराब होने लगी है। उनकी यह बात दिल्ली पर पूरी तरह से लागू होती है। जो बस्तियां हैं, उन में हमारे वे भाई आबाद हैं जोकि कमाऊ पूत हैं, जो खाऊ पूत नहीं हैं, जो एक्सप्लायटर्ज़ नहीं हैं। बल्कि जो तबका कमाऊ पूत है—गवर्नमेंट आफ इंडिया के एम्प्लाईज़, या छोटे दूकानदार या गरीब मुलाजिम या मगरबी और मशरिकी पाकिस्तान से उजड़े हुए पाकिस्तानी गरीब भाई, या फौजी रिटायर्ड अफसर और जवान, वह लोग जो देश की जान हैं और देश की वेल्थ बढ़ाने में जिन का हाथ है, जिन की नेक कमाई है, खून पसीने की गाढ़ी कमाई है, वह लोग जंजाल में आ गए इन बड़े-बड़े कालो-नाइजर्स के। कोई इनके रूल्स हैं नहीं, कोई रेगुलेशंस हैं नहीं, उन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया कमाया कालोनाइजर्स ने और ये लोग बेचारे इन बस्तियों में आबाद हो गए जो आज कल अनएथोराइज्ड बस्तियां कही जाती हैं। मुझे शर्म आती है अथोराइज्ड और अनअथोरा-इज्ड यह रूल्स हैं, रेगूलेशंस हैं चाहे डी०डी०ए० के हों, कारपोरेशन के हों या गवर्नमेंट के हों यह रूल्स लोगों के लिए बनते हैं, लोग रूल्स के लिए नहीं बने हैं। लेकिन ऐसा मालूम देता है कि ये लोग रूल्स के लिए बने हैं। जिन रूल्स से लोगों को नुकसान है, उन के हकों पर कुठाराघात है, उन रूल्स को फाड़ देना चाहिए। मैं इन से पूछना चाहता हूं नई दिल्ली के राष्ट्र-पति भवन में, वजीरों के बंगलों में और यहां जो हमारा इंडिया गेट है, कनाट सर्कस है या और दूसरी जगहें हैं बेकार की बिजली, बेकार सड़कें, बेकार स्कूल, बेकार रिक्रियेशन सेंटर्स, दुनिया भर की यह सब चीजें जब यहां हैं तो वह भी दिल्ली की बस्तियां हैं या वह दिल्ली शहर की आबादी नहीं हैं? वह भी दिल्ली में हैं। लेकिन नाम मात्र को भी वहां कोई सुविधा नहीं है। न वहां सड़क है, न कहीं बिजली है, न कहीं लैट्रिन है, न कोई आने जाने का ट्रांसपोर्ट का बन्दोबस्त है और मेरा ख्याल तो यह है कि

जो बुनियादी जरूरियात जिन्दगी की हैं वह बिलकुल वहां हैं ही नहीं। तो यह बड़े शर्म की बात है और जहां इतने बढ़िया मंत्री, इतने नरम और शरीफ हमारे शाह जैसे मंत्री हों जो गरीब के लिए न सिर्फ दिल रखते हैं बल्कि तड़प रखते हैं तो करोड़ो•रुपया, लाखों रुपया जो बरबाद होता है इस रिक्रियेशन में, यहां बिजली के खम्भों में और कई-कई फरलांग चौड़ी सड़कें बेकार दुनिया भरकी, आने की और जाने की और, और एक-एक सड़क में जगह जगह यह लेफ्ट है, यह बीच है, यह राइट है, दुनिया भर का खर्च जहां हम करते हैं वहां इन लोगों के साथ यह सौतेला सुलूक क्यों है? मैं यह बात उनसे पूछना चाहता हूं, पहले भी यहां बहस हुई थी, वह चार पांच महीने की बात है, उन्होंने उस वक्त यह वादा किया था कि 103 के करीब जो बस्तियां हैं वह तो हमने रेगुलराइज कर दीं, मैं पूछना चाहूंगा कि वह रेगुलराइज़ हुई भी हैं या नहीं हुई हैं और 103 को रेगुलराइज़ कर दिया है तो 105 जो बस्तियां रह गई हैं उन्होंने ही क्या जुल्म किया है? उनको इन भेड़ियों के मुंह में क्यों आपने डाल दिया? वह जो दूसरे कालोनाइज़र्स हैं वह इनको खा जाएंगे। वह भेड़िये हैं। आपके सामने आदमी आदमी को खा रहा है और आप देख रहे हैं। अगर किसी आदमी को कोई आदमी कतल करें और एक आदमी खड़ा देखता रहे तो जो खड़ा हुआ देखता है वह भी जुर्म करता है। इन लोगों को, इन गरीब लोगों को, मुलाजिमों को जिसमें फौजी भी हैं, गरीब दूकानदार दिल्ली के हैं, जो कमाऊ तबका है, खाऊ तबका नहीं, उनको यह भेड़िये कालोनाइजर खा रहे हैं और आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब आप भी जुल्म कर रहे हैं। आपका फर्ज होता है आप उनको बचाएं और अगर आप नहीं बचाते तो मैं तो आप पर भी शक करता हूं कि आप का भी हाथ है इनको खवाने में, आपने उनको छूट दे रखी है कि जाओ, खाओ इन गरीबों को। मैं आपसे कहूंगा कि 105 जो बाकी कालोनीज़ हैं उनको क्यों नहीं रेगुलराइज करते हैं, उन्होंने क्या जुल्म किया है?

मेरी मांग है कि 208 की 208 कालोनीज़ को आप रेगुलराइज़··· (**व्यवधान**) ··· 204 ही सही, मैं मान लेता हूं और यह बताएं कि कब तक उनको रेगुलराइज़ करेंगे? कोई डेट मुकर्रर करें, एक महीने में, दो महीने में, चार महीने में कब करेंगे? दूसरी बात यह कि रेगुलराइज़ करने से ही काम नहीं चलेगा। उनमें जो एमेनिटीज़ हैं, सिविक एमेनिटीज़ जो गावों में भी हासिल हैं, बिजली तो गांवों में भी चली गई है, यहां बिजली भी नहीं हैं, सड़कें गांव में तो चली गई हैं, लेकिन यहां सड़कें भी नहीं हैं, स्कूल गांवों में खुल गये हैं, यहां स्कूल भी नहीं है, अस्पताल गांवों में खुल गये हैं, यहां अस्पताल भी नहीं हैं तो दिल्ली का नाम लेकर इन बस्तियों का नाम बदनाम क्यों करते हैं, इनको सिविक एमेनिटीज़ कब तक मुहिया करेंगे?

मुझे आपके साथ हमदर्दी है, मैं जानता हूं कि आपके पास से यह जवाब आयेगा कि हमारे पास फण्ड नहीं हैं। क्यों फण्ड नहीं है? फण्ड डेवेलप करने के लिये उन पर आप थोड़ा बहुत लेवी लगाइये। मेरी इन्फर्मेशन है कि 10 रु० फी गज़ के हिसाब से आपने उन पर डवेलपमेन्ट लेवी लगाई थी, बाद में कहा कि यह थोड़ी है और उसको 10 रु० से बढ़ाकर 25 रु० कर दिया, अगर यह भी थोड़ी है तो 50 रु० कर दीजिये, हमें उसमें भी एतराज़ नहीं है, लेकिन उनकी गरदन पर जो हर वक्त तलवार लटकी रहती है कि इस प्लाट पर जो मकान तुमने बनाया है, वह तुम्हारा रहेगा या नहीं, यह प्लाट तुम्हारा रहेगा या नहीं, एक सस्पेंस की हालत उनकी बनी हुई है यह दूर होनी चाहिये। आप ऐसी हालत पैदा कीजिये कि उनकी यह घबराहट दूर हो, आप उन पर डवेलपमेन्ट लेवी लगाइये, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये कि लेवी लगाने के बाद रुपया खजाने में दाखिल कर दें, और उनके लिये कुछ न करें।

[श्री रणधीर सिंह]

मैं सबसे पहला सवाल मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप एम० पीज० की कोई कमेटी बनाने के लिये तैयार हैं, अगर एम० पीज० की न बनाना चाहें तो न सही, एक्सपर्ट्स की कोई कमेटी बनाइये, जो एक या दो महीने के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट तैयार करके आपको दे और जो सुझाव वह कमेटी दे—जैसे 204 बस्तियों में क्या-क्या खराबियां हैं, उनके लिये क्या-क्या करना है,—जो रिपोर्ट वह कमेटी दे, उस रिपोर्ट के मुताबिक बस्तियों को रेग्यूलराइज़ करने के लिये, उनको एमेनिटीज़ देने के लिये, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे।

दूसरी बात—दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ़ खींच रहा है, डी० डी० ए० एक तरफ़ खींच रहा है, कारपोरेशन एक तरफ़ खींच रहा है और आप खुद शुमाली-कुतुब की तरफ़ जा रहे हैं—यह जो नान-कोआपरेशन चलता है, ज्वाइन्ट ऐक्शन नहीं है, मेहरबानी करके क्या आप ऐसी तकलीफ़ गवारा करेंगे कि एक यूनिफार्म पालिसी, एक यूनीफार्म ऐक्शन इन कामों में लिया जाये। कारपोरेशन डी०डी०ए० का कुसूर बताता है, डी० डी० ए० दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का कुसूर बताता है, और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन आपका कुसूर बताया है, जनसंघ वाले आपका कुसूर बताते हैं... **(व्यवधान)**... यह चीज़ दूर होनी चाहिये।

तीसरी चीज़—इन इलाकों के डेवेलपमेन्ट के लिये आप एक दस करोड़ रुपये का फण्ड क्रियेट करें जो इन इलाकों में सिविक ऐमेनिटीज़ रेस्टोर करने के काम में लगाया जा सके ताकि हमारे ये कमाऊ पूत यह समझें कि हम भी दिल्ली के रहने वाले हैं और हमारी भी सरकार में कोई कद्र है।

सभापति जी, मैं बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे मौका दिया—मैं आखिर में यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इन इलाकों के ओनर्स के अन्दर जो सेन्स आफ सिक्योरिटी नहीं है—उनको पता नहीं है कि यह प्लाट हमारे पास रहेगा या गिराया जायेगा—यहां से हमको हटाकर कहीं दूर भेजा जायेगा—यह भावना उनके अन्दर से दूर होनी चाहिये।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : सभापति महोदय, बड़े तेज़ दिमाग वाले आदमी को जो केस अच्छा नहीं है, वह कभी सुपुर्द नहीं करना चाहिये। रणधीर सिंह जैसे तेज़ आदमी को जब केस अच्छा नहीं है तो कभी नहीं देना चाहिये क्योंकि इन्होंने अभी कहा है कि वहां पर रास्ता नहीं है। और यहां पर और सब चीजें नहीं हैं। तो जहां पर कुछ नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता है, जहां लोगों ने उसके लिए कोई जगह छोड़ी ही नहीं है तो फिर उसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। जब कालोनी बनी थी, तब आपने कोई इजाजत नहीं ली थी और कोई उसका इन्तजाम नहीं किया। फिर भी हमने सोचा कि 59 तक जो बने थे उनको रेगुलेराइज करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसके बाद वे फिर और बढ़ते रहे। इसके पहले लैंड एक्वायर करने के लिए नोटिफिकेशन भी निकल चुका था। फिर हम 62 तक भी पहुंचे। पहले मई तक पहुंचे, फिर सेप्टेम्बर तक पहुंचे। इस तरह 67 तक भी पहुंचे। फिर जब कार्यवाही करने की कोशिश की जायेगी तो उसमें रास्ता चाहिए और उसको बनाने के लिए कुछ मकान भी गिराने पड़ सकते हैं। यह कोई स्कूल बनाना है तो उसके लिए भी कोई जगह चाहिए, उसके लिए भी मकान गिराने पड़ सकते हैं। एलेक्ट्रिसिटी की मेन बनाने के लिए भी किसी का कुछ नुक्सान हो सकता है। अब अगर इन बातों की सहूलियत नहीं मिलेगी तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर पायेगा ? वह एडमितिस्ट्रेशन चाहे जनसंघ का हो या किसी भी पार्टी का हो। आपस में झगड़ा कराने से कोई फायदा नहीं है। यह कहना बेकार है कि हमारा कोआर्डिनेशन नहीं है। अभी डाक्टर्स की स्ट्राइक हुई तो उसमें आपने देखा कि दोनों ने साथ मिलकर किस तरह से

काम किया। एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन के नाते ही चल सकता है। सब भाइयों ने उसमें मदद की थी। उसी तरह से इस मामले में भी सभी भाइयों की मदद की जरूरत है। 25 या 50 रु० की बात छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें तो जितनी जमीन होगी उसी हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा और जरूरत के हिसाब से जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी। 103 तो पहले के हैं जहां स्कूल बनाने हैं और और चीजें करनी हैं। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके लिए जो खर्चा होगा, जो डेवलपमेंट का खर्चा होगा वह बटवारा करके देते नहीं हैं। तो फिर वह बेचारे क्या कर सकते हैं ? हम म्युनिसिपल कारपोरेशन को फंड भी देने के लिए सोचते थे लेकिन उसके वापिस आने का भी कोई इन्तजाम होना चाहिए या नहीं ? मैं इस बात को भी महसूस करता हूं कि एक मर्तबा रहने के लिए अगर कोई मकान बन गया है तो जहां तक हो सके उसको गिराने की जरूरत न पड़े वह बहुत अच्छा है। और अगर गिराने की जरूरत ही पड़े तो सिर्फ उतने ही गिराये जायं जोकि भलाई के लिए जरूरी हों क्योंकि स्कूल बनाना है या कुछ और करना है तो उसके लिए जगह चाहिए। फिर भी जहां तक हो सकता था हमने कहीं कहीं सर्विस ड्रेन्स बनाने की कोशिश की कहीं कहीं पर स्ट्रीट लाइटिंग की भी कोशिश की है जो पहले के 103 थे वहां पर डेढ़ लाख रुपया भी खर्च कर चुके हैं 67-68 में। लेकिन और अभी जो तीन कालोनीज के बारे में बनाया है उसका खर्चा होगा 23 44 500।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : कौन सी कालोनीज ?

श्री के० के० शाह : एक है अर्जुन नगर-इसमें आप भी आ जाते हैं।

श्री म० ला० सोंधी : हां जी। और ?

श्री के० के० शाह : और कृष्ण नगर। तो मेरी आपसे पार्थना है कि इसमें पार्टीबाजी से कोई काम नहीं हो सकता है। मेरी आप सभी से पार्थना है, सभी पार्टीज से पार्थना है कि सभी मिलकर इस मसले को हल करने की कोशिश करें। यह बड़ा कठिन मसला है। कहीं कहीं पर रास्ते बनाने की जगह भी नहीं छोड़ी गई है। यदि आपको रेगुलेराइज करना है तो हर चीज रेगुलेराइज हो सकती है लेकिन जितनी जरूरियात हैं उनके लिए इन्तजाम किया जाये। जब हमने खर्चा किया तो दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन में सवाल उठाया गया कि डेवलपमेन्ट चार्चेज लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। जब उसके करने से किया तब भी यह सवाल उठाया गया। दिल्ली डेवेलपमेन्ट एथारिटी के हाथ में दिया तो उस में भी बड़ी मुश्किल होती है। मैं मानता हूं कि जितनी जल्दी से काम चलना चाहिए शायद उतनी तेजी से काम नहीं चला होगा लेकिन आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि उन्होंने जान बूझ कर इसमें देर करने की कोशिश की है। इसलिए में श्री रणधीर सिंह और दूसरे दोस्तों को वायदा दे सकता हैं कि 103 कालोनीज में जो मालिक हैं प्लाट्स के, और 101 के बारे में भी जोकि सब मिलाकर 204 हैं, उसमें भी हमने कोशिश की है कि जो मालिक हैं, वहां पर जो डेवेलपमेन्ट होगा और डेवेलपमेन्ट चार्जेज वसूल कराने में कोई मुश्किल नहीं होगा, अगर डेवेलपमेन्ट चार्जेज दे दिये गए तो मालिक के हक कायम कर देंगे।

ऐक्वायर करने के बाद जो डेवलपमेंट चार्जेज दे देते हैं उसको हम रिलीज कर देगें। जिसका मकान गिराने की जरूरत पड़ेगी रास्ता बनाने के लिए उसको भी कहीं पर और कोशिश करेंगे प्लाट देने की और प्लाट के लिए उतना ही चार्ज करेंगे जोकि ऐक्वीजीशन का पैसा देना पड़ेगा और जोकि डेवलपमैंट चार्जेज होगें। इस में मुनाफ़ा करने की कोई कोशिश नहीं होगी। लेकिन जो पीछे के बने हुए मकानात हैं, आज के कहो, तो वह हो नहीं सकता है। मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं और दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन को भी मैंने कहा है कि जितनी

[श्री के० के० शाह]

जल्दी हो सके यह काम करो। म्युनिस्पैल्टी को भी कहा है कि जितनी जल्दी हो सके करो। आखिर एक न एक दिन तो इसे करना ही पड़ेगा तो फिर जल्दी क्यों न लिया जाय। लोग कम से कम नाराज़ हों ऐसी कोशिश की जाय। मैं मानता हूं कि श्री रणधीर सिंह को इससे पूरा संतोष हो जायगा और वह इसमें हमको मदद करेंगे।

श्री शिवचन्द झा (मधुबनी) : बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई आदि के विकास के लिए मैट्रोपोलिटन प्लान की शुरुआत हो रही है तो यह दिल्ली मैट्रोपोलिटन प्लान जो है उसमें इन बस्तियों को रैगुलराइज़ करने की बात होगी यह मैं उम्मीद करता था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वह मैट्रोपोलिटन प्लान कब तक लागू होगा ताकि यह जो अभी अनएथोराइज़्ड कालोनीज़ है यह रैगुलराइज़ हो जायं और उनका ठीक से काम हो सके ?

दूसरा सवाल यह है कि यदि मैट्रोपोलिटन प्लान अभी लागू नहीं होने जा रहा है और उसमें देरी है तो क्या आपके पास कोई एक इंटेरिम अर्थात् बीच की अवधि का प्लान है ताकि यह जो बस्तियां हैं इनके निवासियों को एक लौंग रेंज हाउसिंहघ या डैवेलपमैंट क्रेडिट के रूप में आप दे सकें ऐसी क्या कोई आपके पास योजना है ?

यहां पर जो डेवेलपमैंट लैवी की बात उन्होंने उठाई तो मैं उसका विरोध करता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उनको लौंग रेंज डेवेलपमैंट क्रेडिट देने की क्या आपके पास कोई योजना है ?

इन कालोनियों में वह जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको बहुत-सी दिक्कतें हैं, यातायात की दिक्कतें हैं तो उनके सामने यह जो ट्रान्सपोर्ट का सवाल है उसमें मेरी समझ में उनको काफ़ी सुविधा हो जायगी यदि आप यहां दिल्ली में एक ट्यूबरेलवे की व्यवस्था कर दें, अंडरग्राउन्ड ट्रेन की व्यवस्था आप यहां कर दें। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

चौथा और आखिरी सवाल यह है कि जैसे यहां यह बात उठी कि दिल्ली में लन्दन के हाइड पार्क जैसा कोई बोलने के लिए स्पीकर्स कौरनर हो। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब तक वह सब विकास और आवास कार्य यहां पर करेंगे कम से कम हाइड पार्क जैसा यहां दिल्ली में कोई स्पीकर्स कौरनर क्या आप यहां कहीं पर बनायेंगे ?

श्री के० के० शाह : पहले तो माननीय सदस्य से मैं यह कहना चाहूंगा कि कारपोरेशन की जो जायदाद है वह जायदाद दूसरे जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनकी जायदाद है। अब जिन्होंने बिना परमिशन लेकर मकान बना लिए और जिन्होंने परमिशन लेकर मकान बनाये, डेवेलपमैंट चार्जेज़ दिये और दूसरे ज़रूरी टैक्स देते रहे हैं तो उन्होंने ऐसा करके कोई गुनाह तो नहीं किया है। जिन्होंने बिना परमिशन मकान बनाये फिर भी आपने कहा कि इसको रैगुलराइज़ करा जाय। ठीक है मैं मान सकता हूं कि करो उनको भी रैगूलराइज़ लेकिन जो डेवेलपमैंट चार्जेज़ हैं वह तो पहले दे दें। जो पहले हमारी परमिशन लेकर मकान बनाते हैं उनको डेवेलपमैंट चार्जेज़ देने पड़ते हैं तो जिन्होंने बिना परमिशन के मकान बनाये और उनको रैगुलराइज़ करने के लिए कहा जाता है तो उनको पहले कहीं से लोन लेकर या दूसरा और इंतजाम करके यह डेवेलपमैंट चार्जेज़ तो दे देने चाहिएं।

श्री शिवचन्द्र झा : मैट्रोपोलिटन प्लान में इसको रैगुलराइज़ करने की बात कब तक की जायगी ?

श्री के के शाह : मैट्रोपोलिटन ऐक्ट के के बीच में ही इसे रैगुलराइज़ करने की कोशिश है। इसका एनाऊंसमैंट हो गया है। इसलिए वह सवाल नहीं है। सवाल इतना है कि वह डेवेलपमैंट चार्जेज़ अदा करने के लिए तैयार हो जायं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य

इसमें मेरी मदद करें ताकि यह काम जल्दी हो सके। जैसे आप हिम्मत से सही बात कहते हैं यह हो सकता है कि जो बात आपको सही लगती हो वह शायद मुझे सही न लगे लेकिन मेरा कहना है कि वह सही बात बाहर जाकर उनको भी कहने की हिम्मत करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सब लोग इसमें मेरी मदद करें तो यह काम जल्दी पूरा हो सकेगा।

SHRI M. L. SONDHI: Will you agree to meet their representatives ?

श्री के के शाह : औफ़ कोर्स। मैं तो सदा ही आप लोगों के साथ उठता, बैठता और आवश्यकतानुसार मिलता जुलता रहता हूँ।

अब जहां तक ट्यूब रेलवे बनाने की बात है···

श्री शिवचन्द्र झा : लांग रेंज लीज के बारे में मंत्री महोदय का क्या कहना है ?

श्री के के शाह : हम लोग 99 साल की लीज देने वाले हैं। वह मालिक बन जायेंगे। इसके लिए हम ज्यादा पैसा भी लेने वाले नहीं हैं, कोई मुनाफा नहीं करना चाहते हैं। अगर उनको तकलीफ है तो हम उनसे लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन जिन्होंने जान बूझ कर तकलीफ उठाई है, उनको जो मुनासिब हो वह देना चाहिये।

यहां ट्यूब रेलवे की बात कही गई। इसमें रेलवे वाले चारों सिटी की बात सोचते हैं कि उसमें पैसा कितना खर्च होगा। यहां पर जो सुझाव दिया गया है वह मैं रेलवे मिनिस्टर तक पहुंचा दूंगा। मैं भी बम्बई वाला हूं, मैं बम्बई में इसके लिए लड़ता था। इसलिए आपकी बात मैं रेलवे मिनिस्टर तक पहुंचा दूंगा।

यहां पर स्पीकर्स कार्नर की बात कही गई। यहां की जो प्लैन बनी है उसमें आप देख लीजिये कि काफी जगह है। मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि इसके लिए कोई अलग से जगह रखने के लिए बजाय जिन बेचारों को छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, उनके लिए रखना चाहिये।

यहां पर अगर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाय और बीच की जगह बेच दी जाय तो इसमें हमको पैसा भी मिलेगा और लोगों का गुजारा भी हो सकता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसके बनाने के बारे में सोचें।

19.13 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 17, 1969/ Chaitra 27, 1891 (Saka).

Printed at : Navin Press, 6, Faiz Bazar, Delhi-6.